प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर, 2020***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गिरीश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30353/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-08.12.2020) दिनांक 09.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गिरीश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, ग्राम-सराय करौरा, थाना-गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। खेतों में सिंचाई के लिए हुए विवाद में बन्दी ने दिनांक 28-04-1980 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सोहनलाल व उसकी पत्नी ईश्वरी देवी, पुत्र अहिबरन सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-366/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-6, लखनऊ के आदेश दिनांक 19.05.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.12.2002 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.12.2020 तक 16 वर्ष 10 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 09 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध से समाज में भय व्याप्त होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने सोहनलाल व अहिबरन द्वारा उसके सूखे खेतों में सिंचाई के लिए मना करने एवं समाज व गांव में कोई स्थान न होने की बात को लेकर दिनांक 28-04-1980 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सोहनलाल व उसकी पत्नी ईश्वरी देवी एवं पुत्र अहिबरन सहित 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने की संभावना होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता समाज को प्रभावित करने वाले आपराधिक कृत्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गिरीश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अत: रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-246/2020 गिरीश चन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 17.09.2020 के अनुपालन तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गिरीश चन्द्र (बन्दी संख्या-14707) पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-583/2020/1184(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार गाजियाबाद।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-583/2020/1184/22-2-2020-17(440)/2020

दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गिरीश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा प्रसाद, ग्राम-सराय करौरा, थाना-गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। खेतों में सिंचाई के लिए हुए विवाद में बन्दी ने दिनांक 28-04-1980 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सोहनलाल व उसकी पत्नी ईश्वरी देवी, पुत्र अहिबरन सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-366/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-6, लखनऊ के आदेश दिनांक 19.05.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.12.2002 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.09.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.12.2020 तक 16 वर्ष 10 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 09 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी द्वारा कारित अपराध से समाज में भय व्याप्त होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने सोहनलाल व अहिबरन द्वारा उसके सूखे खेतों में सिंचाई के लिए मना करने एवं समाज व गांव में कोई स्थान न होने की बात को लेकर दिनांक 28-04-1980 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सोहनलाल व उसकी पत्नी ईश्वरी देवी एवं पुत्र अहिबरन सहित 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने की संभावना होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता समाज को प्रभावित करने वाले आपराधिक कृत्य, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचार करते हुए प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गिरीश चन्द्र पुत्र श्री मथुरा प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in